Closure of cement factory in Sawai Modhopur affecting many workers

डा० ग्रबरार श्रहमद खान (राजस्थान): माननीया उपसभापति महोदया, मैं ग्रापका ध्यान इस विशेध उल्लेख के माध्यम से सीमेंट फैक्टी सवाई-माधोपुर के बारे में दिलाना चाहता हूं। सीमेंट फैक्ट्री सवाई-माधोपुर की स्थापना 1948 में हुई तथा उत्पादन 1953 में 500 मी0 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के साथ प्रारम्भ हम्रा तथा बहत गीझ 1958-59 तक इस कारखाने की उत्पादन क्षमता बढ़कर 2590 मी0 टन प्रतिदिन होकर इसे एशिया महाद्वीप का सबसे बडा सीमेंट कारखाना होने का गौरव प्राप्त हुआ। सन 1975-76 में पहली बार इस फैनटी में थोड़ा सा घाटा हआ तथा 9 माइ फैक्ट्री बंद रही तव यह निश्चय हुन्ना कि वहां का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा नियुक्त संचालक मंडल के अधीन होगा तथा इस व्यवस्था को वहां त्रिया-न्वित किया गया। इस व्यवस्था के अधीन 1986-87 से ग्रर्थात् गत एक वर्ष से लगातार बंद पडा है तथा तब से झब तक माल वहां के कमंचारियों को तीन माह का वेतन मिला है जिस कारण से वहां के 4000 मजदूरों के घर के सदस्य करीब 20,000 व्यक्ति आज भूखे मर रहे हैं। उनके बच्चों ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि खाने को ही पैसा नहीं है तो फीस और किताबें कहां से लायें। वह कालेज ग्रौर स्कुल में पढने वाले बच्चे जिन्होंने अपनी जवानी में कदम भी नहीं रखा या जंगल से लकडी व पत्ते लेने जाते हैं।

जहां तक मैं बताऊं, अभी वहां एक कर्मचारी की बीवी की मत्यु हो गई तो वह अस्पताल से उसकी डेंड-बोडी नहीं ले गया क्योंकि उसका क्रियाकर्म करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे । वहां के लोगों ने दस-दस रुपए चंदा देकर के उसकी पत्नी का दाह-संस्कार कराया। इस तरह से वहां सीमेंट-फैक्टरी के मजदूर भूखों मर रहे हैं। इसके लिए दोषी पाहे कोई भी हो, राज्य सरकार हो या कोई हो, उसकी सजा उन चार हजार कर्मचारियों के घर के जो सदस्य हैं बीस हजार, जो मासूम बच्चे हैं, उनको नहीं मिलनी चाहिए ।

Mentions

उपसभापति महोदय, अकाल के समय राजस्थान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने छह सौ करोड़ रुपया दिया था, वह भी मानवता के ग्राधार पर दिया था, मौत से ग्रादमियों को बचाने के लिए दिया था । उसी तरह से मैं चाहूंगा सवाई माघोपुर की फैक्टरी के एक साल से बंद होने के कारण वहां दीस हजार ग्रादमी भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे जंगलों में जाकर लकड़ियां-पत्तियां ला रहे हैं, स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उनके लिए मानवता के ग्राधार पर इसको देखा जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की ज्ञाय या इस सीमेंट फैक्टरी को चलवाया जाए ।

उपसभापति महोदया, राज्य सरकार ने ग्रभी कुछ दिन पहले उस फैक्टरी को चलवाने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर को वहां भेजा था दो करोड़ रुपए की मदद देकर, लेकिन उस मेनेजिंग डायरेक्टर महोदय ने उस दो करोड़ रुपए श्रीर वहां की सीमेंट थी, उसे बेचकर पुराने पैसे चुकाए तथा पत्थर का ग्रंवार लगा दिया, कोयला नहीं संगवाया, जिससे वह फैक्टरी नहीं चली। इसलिए मेरा ग्रापसे यही ग्राग्रह है कि मजदूरों ग्रीर उनके परिवारों के सदस्यों को मानवता के ग्राघार पर मदद पहुंचाने के लिए उस सीमेंट फैक्टरी को तत्काल चलवायें तथा केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान) : उपसभापति महोदया, इस विशेष उल्लेख से मैं अपने आपको संवद्ध करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने भी इस मुहे को इस हाउस में उठाया था, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि तत्काल वहां केन्द्रीय सरकार ढारा राज्य सरकार. के माध्यम से उस फैक्टरी को चलवाया जाएगा। लेकिन इस सदन में आश्वाहन के बावजुद भी यह स्थिति अभी तक चल रही है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में शीझातिशीझ व्यवस्था की जाए।

Special

## Ferry disaster in Maniharighat of Katihar district of Bihar

श्रीरजनी रंजन लाह (विहार) : महोदया, इस विजेष उल्लेख के जरिए मैं एक बहुत ही दूखद घटना, जो विगत 6 ग्रगस्त को कटिहार जिले के मनिहारी घाट में हई, की ग्रोर ग्राकृष्ट करना चाहंगा । इस घटना में एक स्टीमर के डबने से 300 से 500 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि बिहार सरकार बडी तत्परता से तथ्यों की जांच करा रही है, कमीशन भी बैठाया है, लेकिन इस तरह से कमीशन बैठाने से या तथ्यों की जांच कराते रहने के वाद भी जो घटनाएं घटती रहती हैं, क्या उन्हें रोकने की व्यवस्था की जा रही है? में मानता हं कि ग्रौपचारिकता के नाते यह ग्रावझ्यक है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि मरने वालों के परिवारों को समचित राहत पहं-चाई जाए, कमीशन दारा जो जांच हो उस पर कार्यवाही की जाए। इसमें चिंता का विषय यह है कि जो निजी स्टीमर हैं, उन्हें चलाने की इजाजत सरकार किन शतों पर देती है स्रौर यह कैसे चलते हैं, इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है, इसमें कितने यात्री सवार होने चाहिएं, इसका कोई नियम है या नहीं, इन सारी बातों की छानबीन होनी चाहिए क्योंकि जो निजी लोग इस तरह का स्टीमर चलाते हैं, वह व्यवस्था ग्रपने ग्राप में दोषपूर्ण है। 16

महोदया, यह इस तरह के निजी स्टीमर पहले पटना से पालेजाघाट पर चलाए जाते थे, जो पुल बनने के बाद बंद हो गए और वहां से जो पुराने स्टीमर हैं, जितने केक स्टीमर हैं, उन्हें उस मनिहारी घाट की तरफ निजी लोगों ने ग्रव चलाना शुरू कर दिया है। उस पर कोई रोकथाम नहीं है कितने लोग बैठेंगं । महोदया, मेरा निजी ग्रन्भव है कि जब पटना से पलेचा घाट के ऊपर इस तरह का स्टीमर चलाया जाता था तो उसमें जानवरों की तरह से इंसानों को भरा जाता था ग्रौर स्टीमर चलाने वाले पैसे लिये विना किसी प्रकार का ग्रंकुण रखते हुये सवारियां चढ़ा देते थे। इस तरह की एक दुर्घटना काफी दिनों पहले भी हुई थी।

महोदया, मैं सरकार से निवेदन करना चाहंगा कि ग्रभी विहार में जो निजी स्टीमर्स चलाये जाते हैं, उनकी फिटनेस की जांच की जाय ग्रौर केवल 'सक्षम स्टीमर्स को ही चलाये जाने की इजाजत दी जाये। दुसरी बात, ध्यान देने की यह है कि जो स्टीमर की कैपेसिटी है उससे ज्यादा यात्री न चढ़ सकें, इसके लिये व्यवस्था करना भी परमावश्यक है । महोदया, यह जो : दूर्घटना हई है इसमें लोगों की लाश सिलना भी मण्किल हो गया है । हजारों लोग ग्रपने संबंधियों के ज़वों के लिये घाट के किनारे प्रतीक्षारत खडे हैं । मैं सरकार से अपेक्षा करूंगा कि वह इस बारे में तत्काल कदम\_उटायेगी और भविष्य में दोषरहित स्टीमर्स को चलाये जाने की एक सुनियो-जित व्यवस्था करेगी । धन्यवाद ।

उपसभापति : : श्री गोपालसामी ।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रण्न है।

उपसभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नही है। मुझे मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री राम चन्द्र विकल : महोदया, मेरी सन तो ल<sup>\*</sup>

THE DEPUTY CHAIRMAN; No I am not permitting you You cannot raise it in this way. It will not go on record.

यह यहां डिसाइड नहीं होता है। यह यहां पूछ नहीं सकते ग्राप वही स्पेशल मेंशन ग्राते हैं, जिनको कि एलाउ किया जाता है।

थी राम चन्द्र विकल :\*

\*Not recorded.